

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

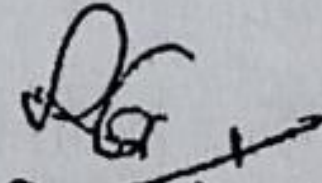
-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित
करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

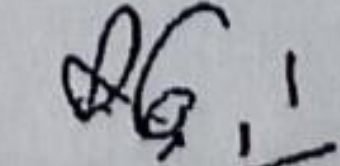

(प्रविन्द्र मेढेकर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. गार्ड फाईल।




अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

- 12.7 प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जायेगा।
- 12.8 राज्य सरकार पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिशन 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अधीन रहना।

12.10 नृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संघ में प्रवेशन क्रमांक 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिशन 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिगार :-

अधिगार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हता परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिगार देय होगा। अधिगार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिगार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिगार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिगार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेजर्स/रोवरों के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (व) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

10 प्रतिशत

(झ) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

05 प्रतिशत

